कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा।

—:अल्पकालीन निविदा :—

विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के पत्रांक (N)398 दिनांक 28.04.2020 के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी हेतु सिमडेगा जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्डों में खाद् सामग्रियों का क्रय किया जाना है। जिले में पंजीकृत ग्राम संगठन/कृषक उत्पादक कंपनी/कृषक उत्पादक समूह/कृषक कॉ–ऑपरेटिव जिनके पास नीचे अंकित सामग्रियों के कारोबार करने का प्रमाण पत्र एवं TIN No. उपलब्ध है, इच्छुक निर्माताओं/आपूर्तिकताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है :–

Sl. No.	Name of Material
1	Vermi-Compost (in kg)
2	OR Farm Yard Manure (in kg)
3	Biflex TC or equivalent (Anti-termite)(in Litre)
4	Trichoderma xp (in kg)
5	Dolomite (in kg)
6	Bone meal/SSP (in kg)
7	Karanj/Neem oil cake (in kg)
8	Furadon 3G/Fenvalrate-D or equivalent (in kg)
9	Fungicides (In Kg) SAAF/SIXER (Mancozeb +Carbendazim)
10	Fungicides (In Kg) (Blue Coper/CuOCl)
11	Insecticides (In Liter) (Chlorpyriphos/Quinalphos or equivalent
12	Chemical Fertilizer (NPK:Sufala/10:26:26) in Kg.
13	Chemical Fertilizer (Urea) in Kg.
14	Micronutrient (To Tocare, Multiplex) in Liter
15	Polythene for Jalkund

निविदादाताओं के निम्नलिखित शर्त्तो के अनुरूप दर अंकित करनी होगी :–

1. निविदा के साथ अधिकृत आपूर्तिकर्त्ता/निर्माता होने का प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता का टेस्ट रिर्पोट का प्रमाण पत्र अन्य संबंधित कागजातों यथा आयकर रिटर्न ;2016–17, 2017–18 एवं 2018–19), GST निबंधन, Sale Tax Clearance, शपथ पत्र, प्राधिकृत पत्र, पैन कार्ड आदि का छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. कार्यस्थल तक सामग्री आपूर्ति करने हेतु सभी प्रकार के कर, परिवहन एवं हथालन व्यय आदि सहित दर का उल्लेख करना अनिवार्य है।
3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्ति किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता अपनी पक्की रसीद के साथ संबंधित लाभुकों से एक संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही पंचायत मं जमा करेगा।
4. आपूर्तिकर्त्ता कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं ऐसे स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

5. निविदादाता को अग्रधन के रूप में 10,000.00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, सिमडेगा के नाम से जमा करना होगा।

6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आदेश आपूर्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निर्दिष्ट स्थल पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

7. निविदा दिनांक 19.5.2020 के अपराहन् 2.00 बजे तक उप विकास आयुकत–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, सिमडेगा द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन अपराहन् 3.00 बजे निविदादाता या प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में Plantation Of MGNREGA अंकित कर जमा कर सकते हैं।

8. आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा खाद् सामग्रियों को योजना स्थल तक आपूर्ति किया जाना है।

9. निविदा की शर्त्तो में संशोधन करने या बिना कारण बतायें किसी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा आपूर्तिकर्त्ता को कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

उप विकास आयुक्त
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सिमडेगा।

ज्ञापांक 327(ii)/जि0ग्रा0, दिनांक 09/05/2020/

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सिमडेगा जिला के वेबसाईट www.simdega.nic.in पर उक्त निविदा की विवरणी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

9.5.2020
उप विकास आयुक्त
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सिमडेगा।

Scanned with CamScanner